न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 208 / 2017

प्रार्थी

1 मोतीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कुर्जा, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हेराजराम पुत्र करनाराम के कायम मुकाम 1/1.ईशराराम 1/2.मंगनाराम 1/3. केवलाराम पिसरान हेराजराम 1/4. बालीदेवी पत्नी हेराजराम 2.जेहाराम पुत्र मेहाराम 3.लक्ष्मी पत्नी पदमाराम जातियान जाट निवासीयान कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर 4.तहसीलदार बाड़मेर जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री राणाराम गौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 02।

आदेश

दिनांक 23.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 285/156 रकबा 46.01 बीघा, विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 284/156 रकबा 18.03 बीघा एंव विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 312/156 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 370/156 रकबा 17.00 बीघा, खसरा संख्या 371/156 रकबा 12.00 बीघा, विप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 287/156 रकबा 5.03 बीघा मौजा कुर्जा पटवार हल्का कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त भूमि मूल खसरा संख्या 156 रकबा 98.14 बीघा के विभाजन से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्राप्त हुई हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य कब्जे–काश्त को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है परन्तु बाद विभाजन पटवार हल्का द्वारा खेत खसरा संख्या 156 में प्रार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि 46.01 बीघा की तरमीम करते समय लटठा ट्रेस में तरमीम रकबा से कम अंकन कर तरमीम कर दी गई है जिसको दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। अतः मौजा कुर्जा व पटवार हल्का कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 285/156 रकबा 46.01 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया, जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए जवाब पेश करने का अवसर बंद किया।

प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भू.अ./2024/919 दिनांक 09.04.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मूल रूप से बाड़मेर से चौहटन जाने वाली सड़क तरमीम के समय गलत तरमीम होने से यह विवाद उत्पन्न हुआ

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

है। उक्त सड़क तरमीम ग्राम कुर्जा के ना.क.सं 32 दिनांक 24.08.1969 को पारीत हुआ जिसमें खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा में से 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा में से 6.15 बीघा, कुल 7.05 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम किस्म गै.मु. सड़क के रूप में दर्ज की गई परन्तु भौतिक रूप से सड़क का कब्जा व लटठा ट्रेस में तरमीम खसरा संख्या 156 में से 3.10 बीघा तथा खसरा संख्या 188 में से 3.15 बीघा कुल 7. 05 बीघा पर हैं सड़क तरमीम गलत होने से खसरा संख्या 156 की ओर मौके पर भूमि कम तथा खसरा संख्या 188 की ओर भूमि अधिक रहीं, उसके बाद सड़क तरमीम के बाद शेष भूमि का बंटवाड़ा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के वाद संख्या 85 /89 अंतर्गत धारा 53 आर.टी.ए. अनवान हेराजराम बनाम मेहाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 26.07.89 द्वारा किया गया, उक्त निर्णय अनुसार वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 156 व 188 के खाते निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	ईशराराम, केवलाराम, मगनाराम पिसरान हेराजराम, वाली पत्नी हेराजराम कौम जाट सा. देह खातेदार	153 154 155 284 / 156 303 / 188 327 / 188	0.0405 0.0567 0.0162 2.9380 7.8914 0.0162	गै.मु. ढाणी गै.मु. ढाणी गै.मु. ढाणी बा.दोयम बा.दोयम गै.मु.वाणिज्यिक प्रयो.
	कुल	6	10.9590	–
2	मोतीराम पुत्र कानाराम कौमा जाट सा. देह खातेदार	152 285 / 156	00.0162 7.4543	गै.मु. बारानी दोयम
	कुल	2	7.4705	
3.	जैसाराम पुत्र मेहाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	312 / 156 370 / 156 371 / 156	0.0243 2.7519 1.9425	गै.मु. आवासीय बा.दो. बा.दो.
		3	4.7187	
4.	लक्ष्मीदेवी पत्नी पदमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	287 / 156	0.8337	बा.दो.
		1	0.8337	बा.दो.
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD सड़के	286 / 156 304 / 188	0.0809 1.0926	गै.मु. सड़क गै.मु. सड़क
		2	1.1735	गै.मु. सड़क

उपरोक्तानुसार लटठाट्रेस में अंकित तरमीम संलग्न नक्शे में परिशिष्ठ "अ" द्वारा दर्शायी गयी है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गयी है जिसे नक्शे में संलग्न परिशिष्ठ "ब" द्वारा दर्शायी गयी है जो निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	ईशराराम, केवलाराम, मगनाराम पिसरान हेराजराम, वाली पत्नी हेराजराम कौम जाट सा. देह खातेदार	153 154 284 / 156 303 / 188 327 / 188	0.0405 0.0405 2.4847 8.3771 0.0162	गै.मु. ढाणी गै.मु. ढाणी बा.दोयम बा.दोयम गै.मु.वाणिज्यिक प्रयो.
	कुल	5	10.9590	–

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

2	मोतीराम पुत्र कानाराम कौमा जाट सा. देह खातेदार	152 154 155 285 / 156	0.0162 0.0162 0.0162 7.4219	गै.मु. गै.मु. ढाणी गै.मु. ढाणी वा.दो.
	कुल	4	7.4705	
3.	जैसाराम पुत्र मेहाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	312 / 156 370 / 156 371 / 156	0.0243 2.7519 1.9425	गै.मु. आवासीय वा.दो. वा.दो.
		3	4.7187	
4.	लक्ष्मीदेवी पत्नी पदमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	287 / 156	0.8337	वा.दो.
		1	0.8337	वा.दो.
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD सड़के	286 / 156 304 / 188	0.5666 0.6069	गै.मु. सड़क गै.मु. सड़क
		2	1.1735	गै.मु. सड़क

मौजा कुर्जा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा व खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में उक्त खसरों की तरमीम मौके अनुसार न होकर अशुद्ध तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है, तथा मौके पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार है। दोनो पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किये हैं। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित हैं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी भी काश्तकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा सभी पक्षकारान इससे सहमत है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा कुर्जा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा व खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा भूमि की भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा कुर्जा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा व खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा भूमि की संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा कुर्जा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा व खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका

रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा कुर्जा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा खसरा संख्या 156 रकबा 99.04 बीघा व खसरा संख्या 188 रकबा 57.02 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र "अ" के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23/04/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर